>

Title: Need to provide multipurpose Unique Identification Number after updation of National Register of citizens based on 1951 Census/1952 Electorates' List.

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण): महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। केन्द्र सरकार द्वारा बहुउद्देशीय विशेष पहचान पत्र जारी करने की योजना सराहनीय कार्य है, परंतु इस कार्ड योजना में बहुत सारे ऐसे बिन्दु विषय है जो अस्पष्ट हैं और इनको स्पष्ट करने का संतोषजनक प्रयास भी नहीं किया गया है। जिसमें सबसे पहला यह है कि यह विशिष्ट पहचान पत्र केवल भारत के वैध नागरिकों को दिया जायेगा अथवा उन सभी को जो भारत में किसी भी तरह (घुसपैठ) से रह रहे हैं। प्राधिकरण के अध्यक्ष ने इस आपत्ति के निराकरण में अपनी असमर्थता जताई है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि 1951 की जनगणना अथवा 1952 की मतदाता सूची के आधार पर राष्ट्रीय नागरिक पंजिका अद्यतन करने के बाद ही यह योजना लागू किया जाये ताकि इसका लाभ किसी भी स्थिति में विकास, एकता एवं अखंडता के शत्रु घुसपैठिये न उठा सके।